



॥ श्री ॥

पुनर्विलोकन-0277/2019/इंदौर/श्रीमान

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक/2019

प्रस्तुती दिनांक/...../2019

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर
म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

श्रीमती जमीला बी पति एस.एम. सिद्दीकी,
निवासी:- 43, गफुर खां की बजरिया,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थिनी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

2. नजूल अधिकारी,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

3. प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

4. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राऊ,
अनुभाग:- तहसील इन्दौर,
जिला इन्दौर, (म.प्र.)

5. अपर तहसीलदार, राऊ अनुभाग,
तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक 01 से 05 के सूचना निर्वाह
का पता :- प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

॥ पुनर्विलोकन धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
1959 के अंतर्गत ॥

इस माननीय न्यायालय के द्वारा निगरानी प्रकरण
क्रमांक 2643-पीबीआर/2015 में दिनांक 14/11/2018
को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

अविस्त.....(2)

के मि
ब्जा
वर्ष
डली
ज के
रा वर्ष
सक्षम
वर्षों में
94/1क
कर दिये
00 तथा
99-2000
रा है, उसमें
ही है। अतः
प्रमाणित है,
पटवारी द्वारा
जो मौके प

अविस्त.....

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक	स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
----------------	----------------	--------------------	--------------------------------------

02-04-19

आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा पूर्व पेशी पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया था। अतः आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।


सोडा


अध्यक्ष